निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 248/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दातार सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी सांवली, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू पीठासीन अधिकारी श्री भूपेन्द्र सिंह यादव, जिला जयपुर।
2. भंवर सिंह पुत्र रेवत सिंह जाति राजपूत निवासी सांवली, तहसील मोजमाबाद, जिला जयपुर।
3. नारायण सिंह पुत्र रेवत सिंह जाति राजपूत निवासी सांवली, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
4. जगदीश सिंह पुत्र रेवत सिंह जाति राजपूत निवासी सांवली, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
5. घीसू सिंह पुत्र श्री रेवत सिंह जाति राजपूत निवासी सांवली, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
6. लक्ष्मण सिंह पुत्र रेवत सिंह जाति राजपूत निवासी सांवली, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
7. प्रहलाद सिंह पुत्र श्री रेवत सिंह जाति राजपूत निवासी सांवली, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
8. भंवर सिंह पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत निवासी सांवली, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
9. शंकर सिंह पुत्र श्री सांवत सिंह जाति राजपूत निवासी सांवली, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
10. श्रीमती लादी पत्नी बाबू लाल जाति गुर्जर, निवासी चिरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
11. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा झाग, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
12. तहसीलदार मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
13. उप पंजीयक मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
14. प्रबन्धक आई सी आई सी आई बैंक बगरू, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 28/2022 ब उनवानी दातार सिंह बनाम भवर सिंह व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री नेमीचन्द जलवानियां अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री बी॰ एस॰ राठौड, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 13 12.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू के समक्ष प्रकरण संख्या 28/2022 ब उनवानी दातार सिंह बनाम भवर सिंह व अन्य विचाराधीन है।

जिला कलक्टर
जयपुर

जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एस. राठौड ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त वाद पत्र वर्तमान में अप्रार्थी/प्रतिवादीगण की तलबी में नियत चला आ रहा है तथा वर्तमान में अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 8 भंवर सिंह की तलबी हेतु नियत है। उक्त वाद पत्र अप्रार्थी /प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 एवं 8 तथा 9 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उक्त वाद के नोटिसों की तामील समस्त अप्रार्थी/प्रतिवादीगण पर हुये बिना ही प्रार्थना पत्र अन्र्तत आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. पर सुनवाई करते हुये स्थानीय विधायक एवं अन्य उच्चाधिकारियों, राजनैतिक दबाव के चलते प्रार्थी/वादी द्वारा पेश किये गये वाद पत्र को खारिज करने पर उतारू है। जबकि आज दिवस तक उक्त वाद के समस्त अप्रार्थी/प्रतिवादीगण पर अभी वाद के नोटिसों की तामील ही नहीं हुई है। अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 9 (शंकर सिंह) स्थानीय विधायक के अच्छे परिचित व्यक्ति है तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा प्रार्थी/वादी को न्यायालय परिसर में मिलने के समय धमकी दी गई थी कि वह प्रार्थी/वादी के उक्त वाद को चलने नहीं देगा तथा जल्द ही खारिज करवा देगा । प्रार्थी द्वारा न्यायालय परिसर में जाने के दरमियान अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 9 शंकर सिंह को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में कई बार आते जाते देखा गया तथा यह भी धमकी दी गई कि उसके विधायक महोदय के जरिये पीठासीन अधिकारी को कहलवा दिया है । अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा सी पी सी के प्रावधानों को पूर्णतया दर किनार करते हुये बिना तामिल करवाये प्राथर्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी पी सी पर बहस सुन कर प्रार्थी/वादी के वाद को ही निस्तारित करने पर आमादा है। प्रतिवादी द्वारा जो प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, पूर्णतया वेग प्रार्थना पत्र की श्रेणी में आता है तथा उक्त प्रार्थना पत्र मात्र प्रार्थी/वादी के वाद को देरी करने के उद्वेश्य से प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी/वादी का उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतई कोई उम्मीद नहीं है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से झूठे एवं मनघढन्त आरोप लगाते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। फिर भी न्यायालय यदि उचित समझते तो निस्तारण के लिए अन्यत्र मुन्तकिल कर दिया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। जयपुर मुख्यालय पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) का न्यायालय स्थापित है, जिसमें इस प्रकरण को अन्तरित किया जा सकता है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 28/2022 व उनवानी दातार सिंह बनाम भंवर सिंह व अन्य को न्यायालय पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) को अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.2023 को न्यायालयं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) एवं न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक **13.12.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलेक्टर जयपुर जिला, जयपुर

(प्रकाश सिंह राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर